राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार

द्वितीय तल, बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना–23

विज्ञप्ति

भवन एवं अन्य निर्माताओं के लिये आवश्यक सूचना

भारत सरकार, ''पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय'' का कार्यालय आदेश सं0 1514 (अ), दि0–05.04.18, नई दिल्ली के आलोक में राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार का गठन किया जा चुका है। Building & Construction Projects जिसका Built-up area (Built-up area for this purpose of EIA Notification, is defined as the "Built-up or covered area on all the floors put together with basements and other service areas, which are proposed in the building construction projects") 20,000 वर्ग मीटर से अधिक एवं 1,50,000 वर्ग मीटर से कम है, वैसी परियोजनाओं को Environment (Protection) Act, 1986 के EIA Notification, 2006 के अनुसार Schudule 8 (a) तथा 1,50,000 वर्ग मीटर से अधिक Township & Area Development Project को Schudule 8 (b) के अंतर्गत पर्यावर्णीय स्वीकृति SEIAA से लेना वैधानिक अनिवार्यता है। इस वैधानिक अनिवार्यता का उल्लंघन दंडनीय है।

इस विज्ञप्ति से उन सभी निर्माताओं को सूचना दी जाती है कि यदि उनकी परियोजना में निर्माण EIA Notification, 2006 के अनुसूची 8 (a) एवं 8 (b) के अनुरूप हुआ है/हो रहा है/या होना प्रस्तावित है तो वे इस प्राधिकरण से Environmental Clearance प्राप्ति हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

भवन एवं निर्माण, तथा अन्य परियोजना प्रस्तावकों को भी इस विज्ञप्ति से आगाह किया जाता है कि Environmental Clearance प्राप्त परियोजनाओं के "Half Yearly Compliance Report" प्राधिकरण को वे अविलम्ब हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।

इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 45 दिनों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्रवाई नहीं किये जाने पर दोषी निर्माताओं एवं परियोजनाओं से संबंधित व्यक्तियों/अधिकारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

सदस्य सचिव